न्यायालय सी0जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी।

दण्ड वाद संख्या–2649 / 2018

पंजीयन संख्या–2919 / 2018

अपराध संख्या–213 / 2015

सरकार बनाम संतोष।

धारा–379,411 भा0दं0सं0।

थाना–बनियाठेर, सम्भल।

03–07–19

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **सन्तोष** जैरे हिरासत जिला कारागार मुरादाबाद से न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो जेलर, जिला कारागार, मुरादाबाद द्वारा अग्रसारित है। जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी ।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया पूर्वक की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त का बयान मुलजिम अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छया पूर्वक अपने द्वारा कारित अपराध को स्वीकार किया और घटना को सही बताते हुये मुकदमा सही चलने का कथन किया गया।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रो व प्रस्तुत साक्ष्य का परीशीलन किया गया।

अभियुक्त द्वारा की गयी स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या 213 / 2015 धारा 379,411 भा0दं0सं0 थाना चन्दौसी के मामलें में कारित अपराध के लिए दोषी पाया जाता है। जिसके लिए अभियुक्त उक्त मामलें में दोष सिद्व किया जाने योग्य है।

(रवि कान्त–।।)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया ।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, अभियुक्त मुकदमा लड़ने में असमर्थ है, उसका यह प्रथम अपराध है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। परिवार के भरण पोषण का भार अभियुक्त पर है। इसलिए उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को उक्त मामलें में उसके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड से दण्डित कर रिहा किया जाये। जब कि सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी

की मोटर साईकिल नं0 यू0पी0 21ए0एच.–8810 को चोरी किया जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गयी। अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप सिद्व है। इसलिए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाये।

अतः उभय पक्षो के तर्को को सुनने एवं अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 379,411 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **सन्तोष** को धारा 379 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए दोषी पाते हुये 01 बर्ष 03 माह के कारावास व मुव0 500/–रू0 (पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

धारा 411 भा0दं0सं0 के अपराध के लिए दोषी पाते हुये 01 बर्ष 03 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा उक्त मामलें में अब तक जेल में बितायी गयी अवधि, अधिरोपित सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का सजायवी वारन्ट अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनॉकः 03.07.19

(रवि कान्त–।।),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।